



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 1665 वर्ष 2026

योगेश चन्द्र

..... याची(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य तथा 12 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : भगवानदत्त पाण्डेय, ब्रिजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सनी प्रकाश

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय सं0 - 6

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट प्रत्यर्थी को नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि प्राइवेट प्रत्यर्थी आदेश द्वारा व्यथित महसूस करता है आदेश के उपचारण/ परिवर्तन की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुतोष प्रत्यर्थी सं0 2/ उपखण्ड अधिकारी, तहसील नौतनवा, जिला महाराजगंज को मामला सं0 टी20250470315127 (रमेश चन्द्र तथा अन्य बनाम ईश्वर चन्द्र तथा अन्य) का विनिश्चय शीघ्रता से करने का निदेश देने के संबंध में है।
4. मामला 28-04-2023 से अवर न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को पूर्वोक्त मामले का विनिश्चय शीघ्रता से तथा सर्वथा विधि के अनुसार एवं आवश्यक स्थगन दिये बिना करने का निदेश देते हुए वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी 21, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"